UGC-CARE List-Social Sciences

ISSN 0974-0074

राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

National Peer Reviewed Journal of Social Sciences

वर्ष 24 अंक 1

जनवरी-जून, 2022

समाज विज्ञान विकास संस्थान

बरेली (उ.प्र.)

इस अंक में

1. समाज को विघटित करने में धर्म के दुष्प्रकार्य — 1
प्रोफेसर श्यामधर सिंह

2. भारतीय संघवाद : सहकारी संघवाद से प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की ओर — 12-
प्रोफेसर पंकज कुमार
डॉ. जितेन्द्र कुमार पाण्डेय

3. मुसहर समुदाय की उर्ध्वाधर गतिशीलता हेतु सामाजिक नीतियों की भूमिका — 19-
कु. शालिनी यादव
प्रोफेसर आशीष सक्सेना

4. युवाओं मे यौन-जनित संक्रमण एवं यौन-जनित रोग के प्रति जागरूकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन — 27-3
डॉ. दिनेश कुमार

5. भूमिका समायोजन के संदर्भ में कार्यशील महिलाओं की प्रस्थिति : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण — 36-4
डॉ. राजश्री मटपाल

6. राजस्थान की बहुआयामी गरीबी का तुलनात्मक अध्ययन — 44-50
हितेष कुमार सुथार
डॉ. नेहा पालीवाल

7. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मे मानवाधिकारों की दशा — 51-56
डॉ.वी.डी.बारहट

8. किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास के मध्य सहसंबंध का अध्ययन — 57-61
दिनेश चन्द्र पाण्डे
प्रोफेसर दीपा वर्मा

9. पुलिस सुधार एवं अपराध नियंत्रण : सूचना प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन — 62-67
सुश्री ज्योति भारद्वाज
प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत

10. महिलाओं मे विधिक जागरूकता : जनपद देहरादून की ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन — 68-75
डॉ. सविता राजपूत

11. विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का सवाल : जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के विशेष संदर्भ मे अध्ययन — 76-83
डॉ. सर्वेश कुमार

12. चेरो जनजातियों का जीवन एवं समस्याएँ : समाजशास्त्रीय अध्ययन — 84-91
डॉ. विमल कुमार लहरी

13. विद्यालय नेतृत्व एवं जेंडर चुनौतियाँ : छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले की महिला प्राचार्यो के सन्दर्भ मे एक अध्ययन — 92-100
डॉ. ज्योति वर्मा

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की दशा

❑ डॉ.बी.डी.बारहठ

सूचक शब्द: मानवाधिकार, पाक अधिकृत कश्मीर, लोकतंत्र, प्राकृतिक संसाधन, गिलगिट-बाल्टिस्तान, सीपीईसी

मानवाधिकार 21वीं सदी का एक ज्वलंत प्रश्न है जिसके आधार पर किसी राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप का निर्धारण होता है। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तान दुनिया के उन कथाकथित क्षेत्रों में सम्मिलित है जहां मानवाधिकार नाममात्र के लिए ही है। यहां के लोगों को राजनीतिक-आर्थिक अधिकारों से तो वंचित किया ही जा रहा है उनका सांस्कृतिक-धार्मिक शोषण भी हो रहा है। यहां की पचास लाख की आबादी तीन पीढ़ी से बुनियादी अधिकारों से वंचित है। विरोधाभास यह है कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी यहां दुनिया की सबसे गरीब आबादी का हिस्सा निवासरत है। प्रस्तुत आलेख विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिवेदनों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिवेदनों आदि के आधार पर पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में मानवाधिकारों की दशा पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है। साथ ही उन कारणों व घटकों को जानने का प्रयास भी होगा जिनके कारण आज भी वहां यह स्थिति है।

मानवाधिकारों का मुद्दा इक्कीसवीं सदी में वैश्विक स्तर के प्रमुख मुद्दों में सम्मिलित है। संविधानवाद, लोकतंत्र एवं सुशासन के एक मापदण्ड के रूप में न केवल वैश्विक संगठनों की अपितु नागरिक समाज की भी मानवाधिकारों को लेकर विशेष रूचि है। यद्यपि एक तरफ जहां इनकी परिभाषा एवं स्वरूप को लेकर मतभेद है, वहीं दूसरी तरफ विश्व के कुछ हिस्से ऐसे है जहां अनवरत रूप से लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा गैर-कानूनी तरीके से कब्जाया हुआ "पाक अधिकृत कश्मीर" (POK) ऐसा ही एक क्षेत्र है जहां मानवाधिकारों व लोकतंत्र की इस सदी में भी करीब पचास लाख की आबादी वर्षों से बिना संविधान, बिना लोकतंत्र व बिना अधिकारों के रहने को बाध्य है। यह विदित ही है कि 1947 में जम्मू-कश्मीर महाराजा द्वारा अपनी रियासत के भारत में विलय के बावजूद पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया था तथा जनवरी 1948 में UN प्रस्ताव द्वारा जो युद्ध विराम समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप जम्मू कश्मीर राज्य का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गया। इस POK को हम दो भागों में बांट सकते है- जम्मू कश्मीर एवं गिलगिट बाल्टिस्तान।

पाक अधिकृत कश्मीर (POK) का करीब 15 प्रतिशत क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है जिसे पाकिस्तान 'आजाद' कश्मीर कहता है। इसका क्षेत्रफल करीब 13000 वर्ग किमी है। मुजफ्फराबाद को इसकी राजधानी घोषित कर रखा है तथा इसे आठ जिलों में बांट रखा है। पाकिस्तान ने POK में किसी संवैधानिक प्रावधानों के स्थान पर "रूल्स ऑफ बिजनैस" से शासन करना उचित समझा जिसके अंतर्गत एक संयुक्त सचिव स्तर के अदने से अधिकारी के पास सारी शक्तियां निहित थी जो वहां की जनता के स्थान पर पाकिस्तान की सरकार के प्रति उत्तरदायी था। 1974 में वहां नई व्यवस्था स्थापित हुई जिसमें विधानसभा, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। पांच वर्ष के कार्यकाल वाली विधानसभा में कुल 53 सदस्य होने की व्यवस्था है परन्तु चुनावी कानून किस तरह से राजनीतिक अधिकारों का हनन करते है, इसका उदाहरण यह है कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो पाकिस्तान के प्रति वफादारी की शपथ लेता है। यदि कोई व्यक्ति कश्मीर के पाकिस्तान में विलय पर प्रश्न उठाता है तब वह व्यक्ति चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएगा।' ऐसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने की वजह से जम्मू एण्ड कश्मीर लिब्रेशन फ्रण्ट व ऑल पार्टीज नेशनलिस्ट अलायंस जैसे दल चुनावों में भाग ही नहीं ले पाये है। POK का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में विलय के विरूद्ध न बोल सकता है और न ही इस बारे में कोई विरोध प्रदर्शन, सम्मेलन या संगठन कर सकता है। ऐसा करना "देश विरोधी व आतंकी कृत्य" माना जाता है। वास्तव में इस तरह के प्रावधान

❑ सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान)

मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है।

साहित्य समीक्षा : ''कश्मीर दहकते अंगारे'' नामक अपनी पुस्तक में जगमोहन' ने मूलतः भारतीय जम्मू कश्मीर के विभिन्न प्रश्नों को उठाया है। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनसांख्यिकी स्वरूप व आतंकी गतिविधियों के संदर्भ में अखण्ड जम्मू कश्मीर के अनेक प्रसंगों का पुस्तक में उल्लेख है। जगमोहन विशेषतः उन अफवाहों और गलत सूचनाओं की ओर ध्यान दिलाते हैं जिसके कारण घाटी में POK के प्रति विशेषतः युवाओं में आकर्षण पैदा होता है।

रविन्द्र जुगरान' की ''रक्तरंजित जम्मू कश्मीर'', पुस्तक संपूर्ण जम्मू कश्मीर के राजनीतिक व भौगोलिक इतिहास के साथ-साथ इसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डालती है। साथ ही, कश्मीर मुद्दे पर भारत की नीति, पाकिस्तान के षडयंत्र और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का भी विस्तार से वर्णन किया है।

कुलदीप अग्निहोत्री, ''जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी'' पुस्तक में लेखक ने अन्य बातों के साथ-साथ विशेषतः गिलगिट-बालटिस्तान के बारे में विस्तार से लिखा है। पुस्तक गिलगिट-बालटिस्तान पर कश्मीर महाराजा के नियंत्रण, गिलगिट स्काउट की स्थापना, स्वाधीनता के समय वहां नियुक्त अंग्रेज सेनापति की पाकिस्तान के प्रति समर्पण भावना आदि पहलूओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

नरेन्द्र सहगल' कृत ''व्यथित जम्मू कश्मीर'' पुस्तक विशेषतः स्वाधीनता के समय कश्मीर में घटित घटनाओं पर आधारित है। सन्दर्भवश अनुच्छेद 370 के प्रभाव, लद्दाख की सभ्यता व संस्कृति पर आसन्न खतरों, आतंकी गतिविधियों से प्रभावित विकास कार्यों आदि का वर्णन किया है। साथ ही कश्मीर में प्रजा परिषद की भूमिका का भी विस्तार से वर्णन है।

शर्मा, हसन, बेहुरिया', "पाकिस्तान ऑक्युपाईड कश्मीर पॉलिटिक्स, पार्टीज एंड पर्सनेलीटीज'' पुस्तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर व गिलगिट-बालटिस्तान की सम्पूर्ण राजनीति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। इसमें वहां के संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ जनआंदोलन एवं प्रदर्शनों का भी विस्तृत वर्णन है। पुस्तक के अनुसार पाकिस्तान के शासकों ने दिखावे के लिए स्थानीय लोगों को शासन में भागीदारी दी है लेकिन वास्तविक सत्ता आज भी पाकिस्तान सरकार के पास ही है।

देवाधर तिलक", "पाकिस्तान द बलूचिस्तान इश्यू" पुस्तक मूलतः बलूचिस्तान के इतिहास, वहां व्याप्त असंतोष व उग्र आंदोलन का सम्पूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। लेकिन संदर्भवश पूरे पाकिस्तान में मानवाधिकार हनन, जनआंदोलनों को कुचलने में पाकिस्तान की गुप्तचर संस्थाओं की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की गतिविधियों आदि को भी रेखांकित करती है।

शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। विषय के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करने के लिए द्वितीयक स्त्रोतों का सहारा लिया गया है जिसमें आलोच्य विषय पर विभिन्न पुस्तकें, आलेख, मीडिया रिपोर्ट व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के दस्तावेज सम्मिलित हैं। साथ ही इण्टरनेट के माध्यम से स्थानीय लोगों के विचारों को समझने का प्रयास भी किया गया।

उद्देश्य

1. वर्तमान सदी में मानवाधिकारों की उपेक्षा पर प्रकाश डालना।
2. मानवाधिकारों को लेकर विभिन्न राज्यों व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के दोगलेपन को प्रश्नांकित करना।
3. पाक अधिकृत कश्मीर व गिलगिट बालटिस्तान में राज्य प्रायोजित मानवाधिकार हनन पर प्रकाश डालकर बौद्धिक बहस को आगे बढ़ाना।

POK की सरकार किस तरह से पाकिस्तानी सरकार की दया पर निर्भर है कि उसे किसी भी समय बिना कारण बताये बर्खास्त किया जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार कश्मीर पाकिस्तान का न ही भू-भाग है और न ही वहां का प्रांत है। इतना ही नहीं इस तथाकथित ''आजाद कश्मीर'' की वास्तविक सत्ता ''आजाद जम्मू कश्मीर कांउसिल'' के पास है जिसमें कुल 21 सदस्य होते है तथा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। यह काउंसिल सर्वोच्च सत्ता है जिसके पास अपरिमित अधिकार है। कांउसिल जम्मू कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त व बर्खास्त करने का अधिकार भी रखती है। वास्तव में यह संस्थागत भ्रष्टाचार का बड़ा उपकरण है लेकिन लोगों के भारी असंतोष व विरोध के बावजूद यह ''तानाशाही संगठन'' पूर्ववत कार्यरत है। यही नहीं इस POK के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की शपथ का दूसरा पैरा कहता है, ''आजाद जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति या

प्रधानमंत्री के रूप में मैं देश के प्रति तथा जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान के साथ विलय के प्रति निष्ठावान रहूंगा।'' स्पष्ट है, 'पी.ओ.के.' की आजादी तथा जनमत भ्रम मात्र है; वास्तविकता में वहां ऊपर से थोपी हुई अलोकतांत्रिक कठपुतली सरकारें कार्यरत रही हैं। ऐसी सरकार से पीड़ित होकर लोग राजनीतिक दमन के शिकार होकर अपने बुनियादी राजनीतिक-अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। यह कैसे राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें राज्य का मुख्य सचिव ही बर्खास्त कर दे? वास्तव में यह सरकार "पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तानियों के लिए बनाई सरकार है न कि कश्मीर के लोगों की प्रतिनिधि सरकार।''[18]

वास्तव में पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार हनन का एक संस्थागत स्वरूप है जैसा कि OHCHR ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में इंगित किया है। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, आतंकी संगठन व स्थानीय पुलिस इसके मुख्य पात्र है। POK में अनेक गुट व राजनीतिक दल कश्मीर की आजादी के समर्थक हैं। ऐसे संस्थागत स्वरूप के समक्ष इनके लिए अपनी गतिविधियों का संचालन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। न केवल स्वयं उनको अपितु बच्चों सहित उनके परिजनों को पुलिस व इंटेलीजेंसी एजेंसियों द्वारा धमकाया जाता रहा है। नवंबर, 2018 में "जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रण्ट" ने पाकिस्तान सरकार से कश्मीर को सैन्य मुक्त करने की मांग को लेकर एक रैली का आयोजन किया। इस आधार पर फ्रन्ट के 19 कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया था। इसी तरह, मार्च 2019 में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा रावलपिण्डी प्रेस क्लब के सामने किए प्रदर्शन के आधार पर उसके 30 सदस्यों को बाहरी संपर्क से विहीन कर हिरासत में ले लिया गया था।[19] इस प्रकार की अनेक घटनाएं वहां के नागरिक जीवन का हिस्सा हो चुकी हों, तब समझा जा सकता है कि वहां के मानवाधिकारों की क्या स्थिति है? जनसंचार के साधन लोकतंत्र के वाहक भी हैं और इसका पैमाना भी। लेकिन POK में आज भी समाचार पत्रों में किसी खबर को प्रकाशित करने से पूर्व कश्मीर काउंसिल व पाकिस्तानी सरकार में कश्मीरी मामलों के विभाग से पूर्वानुमति लेनी होती है। मीडिया कर्मियों को एक तरह से स्वयं पर सेंसरशिप रखनी होती है ताकि वे शोषण से बच सकें। यदि उन्हें सरकारी विज्ञापन चाहिए तब उन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले आंदोलनों व सरकारी एजेंसियों द्वारा हो रहे अत्याचारों की खबरों को उपेक्षित करना होता है। इस तरह से सरकार विज्ञापनों का उपयोग "गाजर और डण्डे की नीति" के रूप में करती है।[20] वास्तव में POK के पत्रकार अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अनेक दबावों व धमकियों का सामना कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के एक पत्रकार शाबिर सिद्दम को मानहानि, छलरचना, अदालती कार्यवाही से फरारी आदि के आरोप लगाकर 22 वर्षों की सजा व पांच लाख पाकिस्तानी रुपयों के जुर्माने से दण्डित किया गया जबकि उनका वास्तविक अपराध यह था कि उन्होंने "डेली टाइम्स" न्यूज पेपर हेतु आलेख लिखा था। इसी तरह नवंबर 2018 में गिलगिट बाल्टिस्तान में एक पत्रकार मोहम्मद कसीम को गिरफ्तार कर उन पर आपराधिक भय, शांतिभंग करने वाला नियोजित षड्यंत्र, मानहानि, सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप आदि के आरोप लगा दिये गये जबकि वास्तव में उसने स्थानीय प्रशासन के भ्रष्टाचार पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी।[21] इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अनुसार पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थान के अधिकारी गिलगिट के पत्रकारों को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के विरुद्ध समाचार प्रकाशित करने पर धमकाते रहते हैं।[22] जब जनमत निर्माण के प्रमुख उपकरण समाचार पत्रों की यह स्थिति है तब आम नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या स्थिति होगी, समझा जा सकता है।

पाक अधिकृत कश्मीर प्राकृतिक संसाधनों से भरा है इन संसाधनों का उपयोग स्थानीय लोगों के लिए न होकर इस पर पाकिस्तानी संघीय सरकार का नियंत्रण है। वास्तव में इन संसाधनों का दोहन पाकिस्तानी सरकार अपने हित में ही करती है जबकि स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर गरीबी व अभाव का जीवन जीने को विवश हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग का अधिकार होता तो यह क्षेत्र संपूर्ण पाकिस्तान का सर्वाधिक सम्पन्न क्षेत्र होता लेकिन आज यह क्षेत्र आर्थिक पिछड़ेपन, बेरोजगारी, निम्न कृषि उत्पादकता, उद्योग धंधों की कमी आदि के कारण पूर्णतया पाकिस्तान की सहायता पर निर्भर हैं। मंगला डैम इस क्षेत्र के जल संसाधनों के दुरूपयोग का एक बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान ने 1967 में मीरपुर में झेलम नदी पर "मंगला डैम" का निर्माण करवाया। यह बांध पाकिस्तान के लिए सिंचाई व विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है लेकिन मीरपुर के लिए एक श्राप समान है। जब इसका निर्माण हुआ तब

लगभग 250 गांव डूबे थे और हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गई।[15] लेकिन स्थानीय लोगों को न मुआवजा मिला और न ही मुफ्त बिजली। बांध से पैदा होने वाली बिजली पर रॉयल्टी न देने के लिए बहाना बनाया कि यह केवल पाकिस्तान के प्रान्तों को ही दी जा सकती है। आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर पर बांध तो बना सकता है लेकिन उससे पैदा होने वाली बिजली पर 'आजादी' के कारण रायल्टी नहीं दे सकता।[16] भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद 2013 में पाकिस्तानी सरकार ने इस बांध की ऊंचाई 454 फीट की जगह 1213 फीट कर दी है जिसने पूरे क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है।[17]

धार्मिक स्तर पर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों की वास्तविकता से तो सभी अवगत है। एक वास्तविकता यह भी है कि, "सच्चे मुसलमान" की परिभाषा से अहमदिया मुस्लिम भी बाहर हैं। पूरे पाकिस्तान के समान ही 'पाक अधिकृत कश्मीर' के अहमदिया शोषण के शिकार हैं। पाकिस्तान के ईशनिंदा के कानूनों की UN सहित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आलोचना हो रही है क्योंकि ईशनिंदा के यह कानून विशेषतः अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का कारण बनते हैं। इसी तरह, पाकिस्तान में पंजाबी व उर्दू को विशेष महत्व के कारण स्थानीय भाषा व बोलियों का विकास भी अवरूद्ध है। कश्मीर की आजादी की प्रमुख आवाज रहे गुलाम नबी गिलकर भाषायी उत्पीड़न का उल्लेखनीय उदाहरण हैं जिन्होंने किसी से कश्मीरी भाषा में बात करने को तरसते हुए जुलाई 1973 में अंतिम सांस ली।[18] स्पष्ट है कि पाक अधिकृत कश्मीर राजनीतिक आर्थिक आधार पर ही नहीं अपितु धार्मिक व सांस्कृतिक आधार पर भी शोषण का शिकार है।

इसके अतिरिक्त मानवाधिकार संगठन इस बारे में भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि 'पाक अधिकृत कश्मीर' से अनेक लोग नियमित रूप से और नियोजित तरीके से गायब हो रहे हैं। ऐसे अनेक लोग जो पाकिस्तानी सेना या गुप्तचर संस्थाओं के लिए काम कर रहे थे, वे लंबे समय से गायब हैं।[19] अनेक ऐसे लोग जो राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित शिविरों में भेज दिया गया है। ऐसे सैकड़ों लोग या तो यातना शिविरों में हैं अथवा वे जीवन के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं लेकिन स्वतंत्र मीडिया व मानवाधिकार संगठनों के अभाव के कारण ये प्रकरण सामने नहीं आ पाये हैं। यह आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के ज्यूरिसडिक्शन में यह सम्मिलित ही नहीं है और NGO'S को वहां काम का अधिकार नहीं है। भारत में आंतकी गतिविधि हेतु इस 'पाक अधिकृत कश्मीर' में अनेक आतंकी शिविरों के अस्तित्व को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों व वैश्विक मीडिया ने भी स्वीकारा है। यह आतंकी स्वाभाविक ही वहां के लोगों के मानवीय अधिकारों के हनन के उपकरण हैं।

जैसी स्थिति 'पाक अधिकृत कश्मीर' की है, मानवाधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में वैसी ही स्थिति में गिलगिट बालटिस्तान का क्षेत्र भी है। पन्द्रह लाख के करीब आबादी का यह क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर से करीब गुना बड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 73000 वर्ग किमी है जिसमें से 5800 वर्ग किमी का क्षेत्र पाक द्वारा गैर-कानूनी तरीके से चीन को सौंप दिया है। प्रशासनिक रूप से GB प्रयोग का क्षेत्र रहा है, जहां पाक में सत्ता परिवर्तन के साथ ही व्यवस्था परिवर्तन होता रहा है। 2020 में इमरान सरकार ने इसे पाकिस्तान का पांचवा प्रांत बनाने की घोषणा की है जिसका भारत सरकार ने तो विरोध किया ही स्थानीय लोग भी इसके विरूद्ध हैं।[20] अभी दिखावे के रूप में यहा 33 सदस्यीय विधानसभा है तथा मुख्यमंत्री व गवर्नर की व्यवस्था भी कर रखी है लेकिन "कश्मीर कौंसिल" के समान ही यहां की भी सारी शक्तियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित परिषद् के पास ही है। स्पष्ट है, यहां के लोग स्वशासन व लोकतंत्र से वंचित ही हैं।

गिलगिट बालटिस्तान का यह क्षेत्र परम्परागत रूप से शिया बहुल रहा है। पाकिस्तान ने नियोजित तरीके से यहां की जनसांख्यकी को बदलकर सुन्नी प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। 1948 में GB में शियाओं की जनसंख्या 85 प्रतिशत थी जो इस समय घटकर 50 प्रतिशत रह गई है। जब काराकोरम हाइवे का निर्माण हुआ तब भुट्टो तथा बाद में जिया के काल में व्यावसायिक हितों के कारण पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों को GB में बसाया गया।[21] परिणामस्वरूप क्षेत्र में शिया-सुन्नी संघर्ष आम हो गया है। 1988 व 1992 में पाक सेना की चुप्पी के कारण सुन्नी समुदाय ने भयंकर रक्तपात किया। शियाओं के विरूद्ध यहां सिपह-ए-सहबा

व लश्कर-ए-झांग्वी नामक सशस्त्र संगठन कार्यरत हैं। पाकिस्तान के शरिया आधारित शासन में शियाओं की मान्यताओं को कोई स्थान नहीं था। स्कूल के पाठ्यक्रम सुन्नी मान्यताओं के अनुरूप करने का विरोध करने वाले शिया नेता जिया-उद-दीन रिजवी की 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस धार्मिक सांस्कृतिक हमले से आहत होकर स्थानीय लोगों ने "बलवारिस्तान नेशनल फ्रन्ट" का गठन किया जो एक स्वतंत्र "बलवारिस्तान" की मांग पर आधारित है जिसे व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त है।[12]

यह शोषण जितना धार्मिक है उतना ही आर्थिक भी है। सामरिक महत्व के काराकोरम हाइवे का पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया है लेकिन स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। पूरे इलाके में लगभग डेढ़ हजार उच्च गुणवत्तायुक्त सोने की खानें हैं लेकिन उसका फायदा भी स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। अन्य अनेक कीमती खनिज पदार्थों की प्रचुरता के बावजूद यह क्षेत्र दक्षिण एशिया के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। यहां की साक्षरता दर मात्र 14 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं के संदर्भ में यह केवल 3 प्रतिशत है। क्षेत्र में 1500 लोगों पर अस्पताल का एक बिस्तर उपलब्ध है। 15 लाख की आबादी पर मात्र दो कॉलेज हैं जबकि मात्र 12 हाई स्कूल है। लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। उद्योगों के नाम पर कुछ ईंट भट्टे मात्र हैं, परिणामस्वरूप 85 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। पूरे पाकिस्तान के लिए यह क्षेत्र घरेलू नौकरों की आपूर्ति का केन्द्र है अथवा सेना में निचले स्तरों पर नौकरी करने को अभिशप्त है। यही कारण है कि कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों में से सबसे बड़ा हिस्सा इसी इलाके के सैनिकों का था।[13]

पाकिस्तान व चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना "चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का गिलगिट बलटिस्तान प्रवेश द्वार है। इसका 600 किमी का क्षेत्र बालटिस्तान के अन्तर्गत आता है लेकिन इससे होने वाले लाभों में स्थानीय निवासी हिस्सेदार नहीं हैं। निचले स्तर के श्रमिकों को छोड़कर प्रोजेक्ट में कार्यरत लोग बाहरी ही हैं। परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में स्थानीय लोगों से कोई विमर्श नहीं किया गया। पर्यावरण पर इस परियोजना के दुष्प्रभावों का परिणाम भी केवल स्थानीय लोगों को ही भोगना है, क्योंकि यह सारे बांध नियोजित तरीके से शिया बहुल क्षेत्र में डिजाइन किए हैं। यही कारण है कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित पांच बांधों का स्थानीय लोगों द्वारा व्यापक विरोध किया गया।[14] लोगों में इस बात का भी असंतोष है कि CPEC द्वारा भी क्षेत्र की जनसांख्यिकी में बदलाव किया जा रहा है। इस परियोजना के कारण पुलिस, सेना, इंटेलीजेंस एजेंसियों आदि का हस्तक्षेप व दबाव भी स्थानीय निवासियों पर बढ़ गया है।[15] स्पष्ट है प्राकृतिक संसाधनों पर न पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों का नियंत्रण है और न ही गिलगिट-बालटिस्तान के लोगों का। वास्तव में यह दोनों क्षेत्र पाकिस्तान के उपनिवेश की तरह है जिनका प्रत्येक संभव तरीके से पाकिस्तान शोषण कर रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत में अपने शोषण को "श्वेत जाति के उत्तरदायित्व" की आड़ में छिपाने का प्रयास किया था उसी तरह पाकिस्तान "इस्लामिक आबादी के प्रति जिम्मेदारी" की आड़ में इस क्षेत्र का शोषण कर रहा है।

पाकिस्तान के आंतकवाद विरोधी कानून की मार सबसे अधिक कहीं पड़ रही है तो वह पाक अधिकृत कश्मीर के साथ-साथ बालटिस्तान हैं। प्रमुख कार्यकर्ता बाबा जान और अन्य चालीस कार्यकर्ताओं पर उनके पर्यावरणीय सक्रियता के लिए आंतकवाद विरोधी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाकर चालीस साल की सजा सुना दी गई।[16] आश्चर्यजनक है कि CPEC का विरोध या आलोचना करना भी आंतकी गतिविधियों में सम्मिलित है और ऐसा करने पर "राष्ट्र विरोधी व जन विरोधी गतिविधियों के आधार पर कार्यवाही की जाती है।[17] आतंकवाद विरोधी कानून मानवाधिकारों पर करारी चोट करता है जिसमे बिना वारण्ट गिरफ्तारी से लेकर महीने भर तक का रिमाण्ड सम्मिलित है। स्पष्टतः यह पाकिस्तान का दुरंगीपन ही है जो भारत के अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के तथाकथित उल्लंघन के विरूद्ध तो बोलता है लेकिन स्वयं पाक अधिकृत कश्मीर व बालटिस्तान के मानवाधिकारों का हनन करता है। कभी संपूर्ण कश्मीर के लिए कहा जाता था कि "गर फिरदौस बर रू-ए-जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो हमी अस्त" (धरती पर स्वर्ग यदि कहीं है, तो यहीं है, यहीं है यहीं है) आज मानवाधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में POK व GB के लिए कहा जा सकता है कि "गर दोजख बर रू-ए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त" (धरती पर अगर नरक

जैसी स्थिति कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है।)
स्पष्ट है कि न केवल पाकिस्तान की सरकार अपितु वहां का नागरिक समाज भी मानवता के विरुद्ध हो रहे इस अपराध का अपराधी है। मानवाधिकार हनन के प्रत्येक प्रकार से आज यह क्षेत्र अभिशप्त है। यहां की आबादी स्वशासन के अभाव, राजनीतिक अधिकारों के अभाव, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, बुनियादी सुविधाओं की कमी व सांस्कृतिक संहार की मार झेलने को मजबूर है। लेकिन अब उपयुक्त समय है कि हम इतिहास को न्याय करने दें। वास्तव में इतिहास बहुत क्रूर निर्णायक होता है, इसीलिए वे किरदार भी सामने आने चाहिए जिनके कारण महाराजा हरी सिंह का विलय पत्र पूर्ण न पाया, जिनके कारण 1948 का हमला हुआ, जिन्होंने भारतीय सेना को अपना कार्य पूर्ण करने से रोक दिया और जिनकी अदूरदर्शिता ने भारत भूमि के लाखों लोगों को अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर कर दिया, इसलिए क्योंकि हमारा इतिहास एक है, हमारी ... साझा है और इसलिए हमारा दर्द भी साझा है-

"हम दिखते हैं भूगोल की तरह लेकिन
बस खुरचो हमें
और बहने लगता है इतिहास ...।"[28]

संदर्भ

1. स्नेडेन क्रिस्टोफर द्वारा 'कश्मीर : द अनरिटेन हिस्ट्री' में एक टिप्पणी को उद्धृत।
2. पाण्डेय, अशोक कुमार, कश्मीरनामा इतिहास और समकाल, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, 2020, पृ. 337
3. जगमोहन 'कश्मीर दहकते अंगारे', एलाइड पब्लिशर्स, दिल्ली, 1994
4. जुगराम रवीन्द्र, 'रक्त रंजित जम्मू कश्मीर', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2009
5. अग्निहोत्री कुलदीप चंद, 'जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2013
6. सहगल नरेन्द्र, 'व्यथित जम्मू कश्मीर', सुरुचि प्रकाशन, दिल्ली, 2010
7. शर्मा सुरेन्द्र कुमार, 'वासुल-उल-हसन और अशोक के बेहुरिया पाकिस्तान आक्युपाईड कश्मीर पॉलिटिक्स, पार्टीज एण्ड पर्सनैलिटीज', पेंटागन प्रेस, दिल्ली, 2019
8. देवाशर तिलक, 'पाकिस्तान द बलूचिस्तान कुण्ड्रम', इंडियनल कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, हारपर कॉलिंस पब्लिशर्स, दिल्ली, 2019
9. पाण्डेय अशोक कुमार, पूर्वोक्त, पृ. 340
10. वही, पृ. 342
11. https://www.ohchr.org>kashmir
12. https://www.ohchr.org>kashmir
13. https://www.ohchr.org>kashmir
14. https://cpj.org/data/peoplelashmir
15. महापात्रा देबीदत्ता, शेषाद्रा सीमा, 'कश्मीर अक्रॉस एल. सी.', ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2008, पृ. ...
16. वही, पृ. सं. 31
17. https://tribune.com.pk/story
18. https://sadhan/wordpress/com
19. https://www.amnesty.nl/content
20. https://www.bbc.com>world,नवंबर 23, 2020
21. https://www.bbc.com>world, नवंबर 23, 2020
22. पाण्डेय, अशोक कुमार, पूर्वोक्त, पृ. 350
23. पाण्डेय, अशोक कुमार, पूर्वोक्त, पृ. 350
24. https://www.ohchr.org>kashmir, पृ. 350-351
15. https://www.ohchr.org>kashmir
26. https://www.ohchr.org>kashmir
27. ICG 'china-pakistan Economic corridor opportunities
28. पाण्डेय अशोक कुमार, पूर्वोक्त, पुस्तक की भूमिका से।

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 13 अंक 1 जनवरी-फरवरी 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

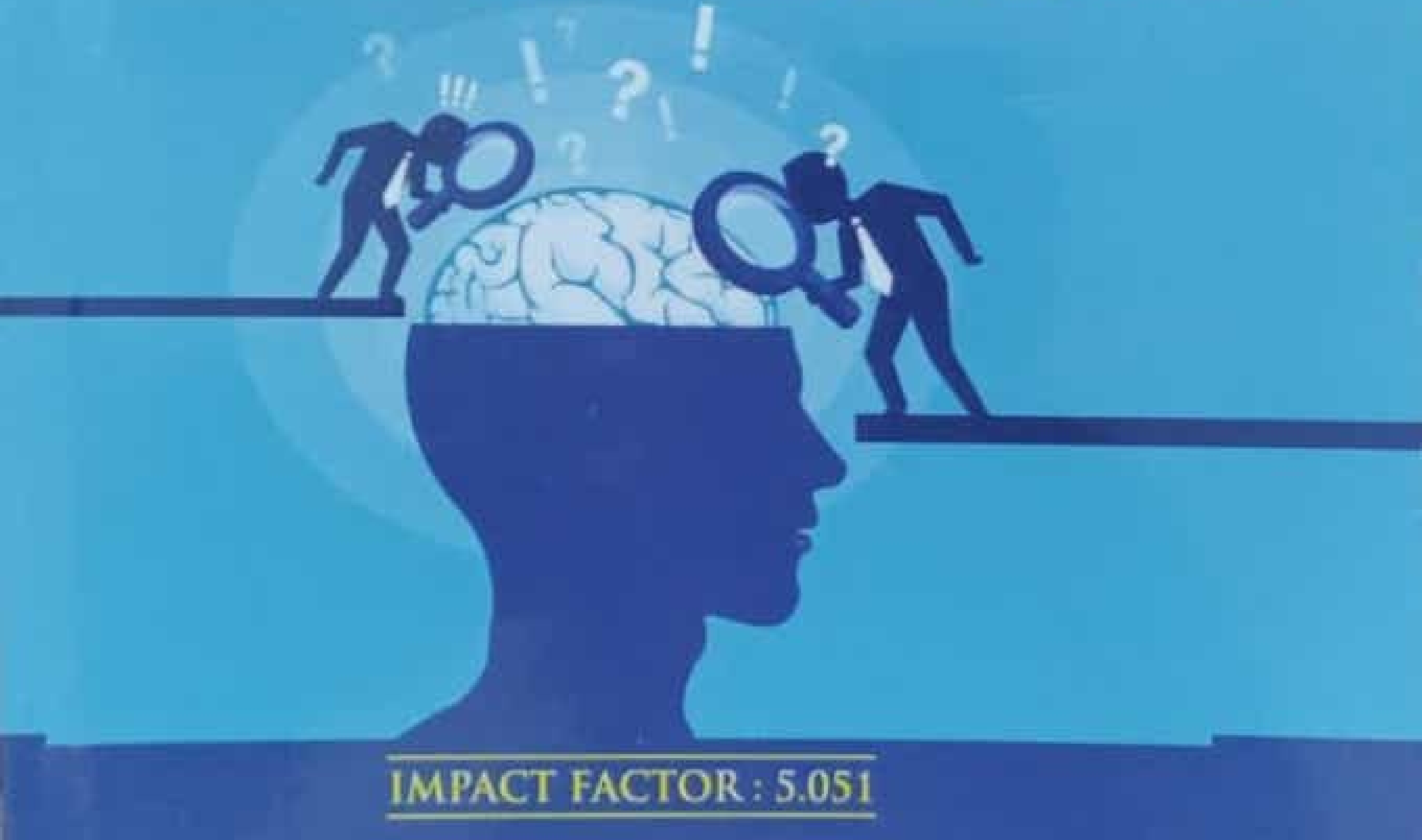

IMPACT FACTOR : 5.051

अनुक्रमणिका/ CONTENTS

पृष्ठ संख्या

वनवासियों को भारतीय समाज की मुख्यधारा से तोड़ने के प्रयास — 7
- डॉ. महावीर प्रसाद जैन

अनुच्छेद 370 : एकीकरण का साधन अथवा अलगाववाद का वाहक — 21
- डॉ. बालुदान बारहठ

भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और अल्पसंख्यकवाद — 32
- डॉ. आशीष सिसोदिया

प्रिण्ट मीडिया और उसके सामाजिक सरोकार — 39
- डॉ. बालूदान बारहठ

5. पंथनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकतावाद — 45
- सुबोधकान्त नायक

6. क्रान्तिकारी साहित्यकार केसरी सिंह बारहठ — 53
- भंवर सिंह चारण

7. संस्कृत वाड्मय में धर्म का स्वरूप — 59
- डॉ. रेखा गुप्ता

8. मेवाड़ राजवंश में मातमपोशी एवं तलवार बंधायी की परम्परा — 65
- डॉ. सुदर्शन सिंह राठोड़

राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व एवं पारिवारिक पृष्ठभूमिः राजस्थान की चौहदवी विधानसभा का एक अनुभवमूलक अध्ययन

बालूदान बारहठ

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, सुखाड़िया वि.वि. उदयपुर

सारांश-

भारत के कुल मतदाताओं का करीब आधा हिस्सा महिलाओं का है लेकि विधायिका में उनकी संख्या इस अनुरूप नहीं रही है। न केवल संसद में अपितु राज्यो की विधायिका में भी यही दृश्य उभर कर आ रहा है। प्रस्तुत शोध राजस्थान की चौदवी विधानसभा में महिला सहभागिता में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की पारम्परिकता पर आधारित है। साथ ही सन्दर्भवश संसद में महिला प्रतिनिधित्व, अब तक की महिलाओं की सहभागिता, पंचायती राज और विधायिका पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अभी भी अधिकांश महिलाओं को अवसर उनकी पारिवारिक राजनैतिक पृष्ठभूमि से ही प्राप्त हो रहा है लेकिन उदाहरण आशा की किरण भी जगाने वाले है।

संकेत शब्द- सांसद, महिला विधायक, आरक्षण, विधानसभा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पंचायती राज

विश्व का राजनीतिक इतिहास इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटेन व U.S.A. जैसे देश भी बीसवी सदी में जाकर महिलाओं को मत का अधिकार देने को तैयार हुए थे लेकिन भारत ने अपनी स्वाधीनता के साथ ही बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को न केवल मताधिकार अपितु निर्वाचित होने का भी अधिकार दिया। यह बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति थी क्योंकि महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता का तो अभाव था ही, साक्षरता दर भी दस प्रतिशत से कम थी। रूढ़िवादिता का स्तर यह था कि स्वाधीन भारत की पहली मतदाता सूची में लाखों महिलाओं के नाम केवल इसलिए शामिल नहीं हो पाये क्योंकि उन्होंने मतदान कर्मिको के सामने अपने पति का नाम नहीं बताया। अनेक संवैधानिक प्रावधानों व राजनैतिक-संरक्षणों के परिणाम स्वरूप स्थिति में तेजी से सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिया। आज मतदाताओं की कुल संख्या की दृष्टि से देखें तो पूरे देश के कुल मतदाताओं में से करीब 47 प्रतिशत महिला मतदाता है। यही नहीं 2019 लोकसभा में हुए चुनावों में पुरूष मतदान प्रतिशत की तुलना में महिला मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है। लेकिन विधायिका में प्रतिनिधित्व के स्तर पर महिलाओं की संख्या अत्यन्त सीमित हो जाती है।

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखा जाए तो वर्तमान सत्रहवी लोकसभा में 14.36 प्रतिशत सांसद महिलाएं है जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पहली लोकसभा में 4.41 प्रतिशत' की तुलना में यह तीन गुणा से भी अधिक है लेकिन कुल महिला मतदाताओं के अनुपात में देखे तो यह एक तिहाई से भी कम है। इसी तरह राजस्थान विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1952 में जब पहली विधानसभा के चुनाव हुए तब कुल चार महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया परन्तु कोई भी महिला निर्वाचित नहीं हो पायी थी। नवम्बर 1953 में उपचुनाव में बासंवाड़ा से श्रीमती यशोदा देवी निर्वाचित हुई जिन्हें राजस्थान की पहली महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है। जून 1954 में श्रीमती कमला बेनिवाल दूसरी महिला विधायक के रूप में चुनी गई। पहली विधानसभा में दो महिला विधायकों की तुलना में चौदहवीं विधानसभा में कुल 29 महिला विधायक निर्वाचित हुई जो अब तक की सर्वाधिक महिला विधायक है। यह सदन की कुल सदस्य संख्या का करीब 15 प्रतिशत है। 14वीं विधानसभा में कुल महिला प्रत्याशियों की संख्या 166 थी जिसमें से अधिकांश का निर्दलीय प्रत्याशी होना महिलाओं की बढ़ती राजनैतिक सहभागिता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि अब तक जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला रहा है जहां से अभी तक कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई है। अतः यह देखना रोचक होगा कि इन 166 प्रत्याशियों में से जो 29 विधायक निर्वाचित हुई उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? उनकी निर्वाचकता की बारम्बारता क्या रही है और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनको अवसर प्रदान करने अथवा विधायक के रूप में कामकाज में क्या भूमिका निभाई है।

राजस्थान में 14वीं विधानसभा हेतु दिसम्बर 2013 में चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें कुल 28 महिला विधायक निर्वाचित हुई तथा बाद में धौलपुर उपचुनाव में चुने जाने से महिला विधायकों की संख्या 29 हो गई थी। दलीय स्थिति के आधार पर देखा जाये तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से कुल 21 महिला विधायक चुनी गई। जिलेवार प्रतिनिधित्व को देखे तो स्पष्ट होता है कि सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर जिले से 3 महिला विधायक चुनी गई, जबकि 6 जिले ऐसे है जिनमें से दो दो महिला विधायक निर्वाचित हुई है। कुल 33 में से 21 जिलो से विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व रहा है। महिला विधायकों की बारम्बारता का मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि 17 विधायक ऐसी थी जो प्रथम बार निर्वाचित हुई थी जबकि दो बार निर्वाचित होने वाली विधायकों की संख्या आठ रही है। चार विधायक ऐसी थी जो तीन या तीन से अधिक बार विधायक के रूप में चुनी गई है, जिनमें से श्रीमती कृष्णेंद्र कौर व श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास चार चार बार विधायक के रूप में निर्वाचित होकर सदन में पहुंची है।

महर्षि अरविन्द का शिक्षा दर्शन -डॉ॰ भगवती गौड़; मोनिका 3234

भूमंडलीकरण के दौर में सामाजिक न्याय की अवधारणा एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का बदलता स्वरूप: एक विश्लेषण -डॉ॰ इकबाल प्रधान 3236

जातकों के सिद्धान्तों में न्याय के अनुशीलन -डॉ॰ कुसुम सिंह; दिनेश कुमार पटेल 3240

कहाँ गईं हम परी हो जाएँ : पितृसत्ता की पीड़ा से मुक्ति के प्रयास -शशि 3243

सामाजिक परिवर्तन: आर्थिक परिदृश्य में महिलाओं की बदलती भूमिका -डॉ॰ ललिता यादव 3245

जलवायु परिवर्तन: राजस्थान के संदर्भ में -डॉ॰ बबीता 3253

राजस्थान में वर्णित पत्रकारों का विवेचना -डॉ॰ समय सिंह मीणा 3255

हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्रिक चुनौतियाँ एवं विकल्प -राजीव रौशन कुमार 3259

कोविड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: एक आलोचनात्मक अध्ययन -डॉ॰ मनोज कुमार अग्रवाल 3262

झारखण्ड के समकालीन कथाकारों की कथा साहित्य में जीवन मूल्य -सुशील हिमांशु कर्मकार; प्रो॰ (डॉ॰) शिव कुमार प्रसाद 3267

लक्ष्मण का जीवन वृत्त -विवेक कुमार रजक; प्रो॰ (डॉ॰) दिनेश प्रसाद कमल 3270

निम्न, औसत और प्रखर छात्रों के बीच उनकी व्यावसायिक आकांक्षा के संबंध का एक अध्ययन -हुस्ना बानो; डॉ॰ राजीव कुमार 3273

भारत - अमेरिका संबंध -डॉ॰ हर्षेन्द्र प्रताप सिंह 3278

भारत में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के कारण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन -नितिन कुमार; डॉ॰ संध्या तिवारी 3282

राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों का योगदान -माया कंवर; डॉ॰ राम नरेश टण्डन 3285

मानव जीवन एवं वनस्पतियों से टूटता नाता -डॉ॰ राजेश कुमार पाल; अमित कुमार सिंह 3288

राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि: राजस्थान की चौदहवीं विधानसभा का एक अनुभवमूलक अध्ययन -बाबूलाल बाकड़ 3290

'मधुमेह' रोग में आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण का अध्ययन -वन्दना सिंह यादव 3294

उर्मिला यादव का व्यक्तित्व एवं कृतित्व: एक विवेचना -मुकेश कुमारी 3297

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के जनादेश का विश्लेषणात्मक अध्ययन -आशा रानी 3300

'भक्तिकाल' और 'नयी कविता' के संदर्भ में नामवर सिंह और मुक्तिबोध का आलोचनात्मक चिंतन
-डॉ॰ रमेश कुमार यादव; डॉ॰ चन्द्र प्रकाश यादव 3302

वर्तमान समय को चित्रित करती कहानियाँ -वंदना पाण्डेय; डॉ॰ विश्वजीत कुमार मिश्र 3305

संस्कृत साहित्य में मार्गदर्शन की उद्भावना एवं बृहत्त्रयी के महाकाव्य -रिंकी निशा 3308

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण कृषकों में ऋणग्रस्तता का अध्ययन -डॉ॰ सपना शर्मा सारस्वत; अल्का इंद्रसेन 3311

भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेई का योगदान -उदय भान द्विवेदी; डॉ॰ इश्तियाक अहमद अंसारी 3314

उपन्यास 'हूक दरबार' का समीक्षात्मक अनुशीलन -डॉ॰ हिमांशु कुमार 3318

वैज्ञानिक सृजनात्मकता के संदर्भ में परम्परागत शिक्षण विधि के सापेक्ष आगमन चिंतन प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन
-डॉ॰ सरोज जैन; विन्दश्वरी प्रसाद सिंह 3321

भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं पर एक अध्ययन -मनजीत सिंह 3325

हिन्दी भाषा का वैश्विक स्वरूप -रीना रानी 3330

"किशोरावस्था के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सहसम्बन्ध का अध्ययन" -नेहा श्रीवास्तव 3334

बिखरते परिवार तथा टूटती मान्यताएँ: नौकरी-पेशा, माता-पिता और बच्चों की देखभाल एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन
-डॉ॰ अतुल कुमार मिश्र; डॉ॰ विमल विक्रम सिंह 3339

सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सृजनात्मक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन
-अनुराग कुमार दुबे; डॉ॰ (श्रीमती) मधुबाला राय 3343

कोविड महामारी का भारत में रोजगार पर प्रभाव एवं सुझाव -डॉ॰ प्रशांत अग्रवाल 3347

प्राथमिक शिक्षकों के व्यावसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन -राघवेन्द्र वीर सिंह; डॉ॰ अखिलेश चन्द 3350

आजमगढ़ जनपद के प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के पर्यावरणीय मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन -रेनू देवी; डॉ॰ अखिलेश चन्द 3354

[illegible] शिक्षित है। दस महिला सदस्य स्नातक जबकि नौ अन्य स्नातकोत्तर तक शिक्षित है। शेष महिला सदस्यों में से दो पीएच.डी. व एक [illegible] इससे यह स्पष्ट है कि अधिकांश पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी उच्च महिला शिक्षा [illegible] अन्य डिप्लोमा किए हुए है [illegible] जो एक शुभ लक्षण है।

[illegible] राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, पांच महिला विधायकों को राजपरिवार से होने का राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ है जिन्होंने पैतृक [illegible] राजस्थान में पहली से 14वीं विधानसभा तक कुल 108 महिला विधायक चुनी गई है। जिसमें से केवल आठ महिलाएं ही [illegible] सामन्तवादी इतिहास वाले राजस्थान के लिए यह संख्या नगण्य ही समझी जानी चाहिए। इन पांच के अलावा शेष महिला सदस्यों [illegible] है जिनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। इस तरह से देखा जाये तो 29 महिला विधायकों में से 19 विधायक ऐसी [illegible] राजनीतिक पृष्ठभूमि का लाभ प्राप्त हुआ है। इनमें से 4 महिला सदस्य ऐसी है जिनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि तो रही है लेकिन स्वयं [illegible] पूर्व कोई राजनीतिक सक्रियता नहीं रही थी। ऐसी कुल नौ महिला सदस्य है जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता के साथ अपनी राजनीतिक [illegible] शेष महिला सदस्य पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ विधायक बनने से पूर्व भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रही है। इस तरह देखा जावे [illegible] विधायकों में से 10 विधायक ही ऐसी है जिन्होंने बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के अपने कौशल व सूझबूझ से विधानसभा तक की यात्रा पूर्ण [illegible]

[illegible] समाज में दो विधायकों से आरम्भ हुई यह यात्रा 29 तक पहुंच चुकी है। आगे के लिए आशा है कि यह संख्या और बढ़ेगी तथा [illegible] को भी पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे जिनके परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है बल्कि वे स्वयं की क्षमताओं से योग्यता से अन्य क्षेत्रों [illegible] राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अपेक्षित प्रतिनिधित्व हासिल करेंगी। ऐसी महिलाएं अपनी विरासत की कैद न होकर सच्चे लोकतंत्र का प्रतिनिधि [illegible] स्वशासन में आरक्षण ने बुनियादी स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को स्थान दिया है जिससे एक तरह से प्राथमिक स्तर पर उन्हें राजनीतिक [illegible] का दिया है। उम्मीद है यह प्रशिक्षण विधानसभा व संसद तक की यात्रा में सहयोगी होकर संस्थाओं के और लोकतंत्रीकरण को सफल [illegible] और देश की महिला केवल अपनी योग्यता व रुचि से राजनीति में स्थान प्राप्त कर पाएगी राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक आधुनिकीकरण [illegible] जाएगी, हमारा लोकतंत्र व्यापक अर्थ में गणतंत्र होगा, और तब प्रक्रियात्मक व प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में भेद भी समाप्त हो जाएगा।

[illegible] सूची

1. https://eci.gov.in/statisticalreport
2. [illegible] टाइम्स, 24 मई, 2019 "17वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिला सांसद
3. [illegible] भारत में महिला सशक्तिकरण, आविष्कार डिस्ट्रीब्यूटर्स
4. [illegible], महिला राजनीतिक नेतृत्व एवं महिला विकास" पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर 2011
5. वही।
6. राजस्थान की राजनीति में महिलाएं (राजस्थान विधानसभा के विशेष संदर्भ में) "विधान-बोधनी" त्रैमासिक पत्रिका, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जनवरी-अप्रैल, 2017
7. वही।
8. सदस्य परिचय (चौदहवीं राजस्थान विधानसभा): राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी।
9. वही
10. [illegible] व अग्रवाल मीना, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर 2010
11. [illegible], पाइटर पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2012
12. [illegible], RJPP, 2017 Vol 15
13. शर्मा [illegible], विधान बोधनी, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जनवरी-अप्रैल 2017
14. https://rajassembly.nic.in
15. वही
16. वही
17. वही

भारती को भी वर्षों तक प्रकल्प प्रमुख रही है। अध्ययन से स्पष्ट है कि श्रीमती अनिता के परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। इसी भाँति श्रीमती अमृता मेघवाल इससे पूर्व जिला परिषद् सदस्य रही है तथा अपनी पार्टी के महिला मोर्चा की पदाधिकारी रही है। लेकिन अपने पति की राजनीतिक सक्रियता ने भी इन्हें अवसर देने में भूमिका निभाई है। श्रीमती कमसा मेघवाल विधायक बनने से पूर्व प.स. सदस्य प्रधान, जिला परिषद् सदस्य आदि पदों में कार्य कर चुकि थी। संगठनात्मक स्तर पर पार्टी की जिला इकाई में भी कार्य कर चुकी थी। साथ ही वह सामाजिक स्तर पर भी सक्रिय रहकर अपने समाज की जिला अध्यक्ष भी रही है। इस तरह कमसा मेघवाल बिना किसी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के विधानसभा में पहुँचने में सफल रही है। श्रीमती गीता वर्मा 14वीं विधानसभा में पहली बार विधायक के रूप में पहुँची है लेकिन इससे पूर्व प्रधान रह चुकी है साथ ही परिवार की लंबे समय से राजनीतिक सक्रियता का भी फायदा इन्हें प्राप्त हुआ है। इसी भाँति श्रीमती शिमला बावरी भी पहली बार विधायक बनने में सफल रही लेकिन परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। वह स्वयं अपने दल के संगठन में मण्डल से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी है।

श्रीमती संजना आगरी इससे पहले न केवल 13वीं विधानसभा की भी सदस्य रही अपितु अपने दल में मण्डल से लेकर जिला स्तर तक सक्रिय रही है। साथ ही, अपने समाज के संगठन में भी सक्रिय रही है। साथ ही इनके पति भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। श्रीमती मंजू देवी बावरी एकमात्र ऐसी महिला विधायक है जिनकी न स्वयं की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही तथा न ही परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि। स्थानीय स्तर पर समीकरणों ने उन्हें विधानसभा में पहुँचने का अवसर दिया। डॉ. मंजू बाघमार ने भी परिवार की किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बिना ही विधानसभा तक का सफर पूरा किया है। इससे पूर्व अकादमिक गतिविधियों के साथ-साथ अपने दल में लंबे समय से सक्रिय रही है। इसी तरह श्रीमती राजकुमारी के ग्राम स्तर की राजनीति में सक्रियता के अलावा कोई विशेष राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही अपितु लगभग 15 वर्षों से अपनी पार्टी के संगठन में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन कर विधानसभा में पहुँचने में सफल रहीं। इसी भाँति श्रीमती रानी सिलौटिया भी बिना किसी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के विधानसभा तक पहुँचने में सफल रही है। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल के पीहर व ससुराल दोनों पक्षों की राजनीति में सक्रियता रही है। साथ ही वह स्वयं भी इसके पूर्व 13वीं विधानसभा सदस्य व जिला परिषद् सदस्य के साथ-साथ अपनी पार्टी में भी विभिन्न पदों पर रह चुकी थी। इसी तरह श्रीमती द्रौपदी ने भी लंबे समय तक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए विधायक तक की यात्रा पूर्ण की है।

इसी तरह 14वीं विधानसभा में तीन महिला विधायक अनुसूचित जनजाति वर्ग से निर्वाचित होकर आयी थी। इनमें श्रीमती अंजूदेवी धानका इससे पूर्व 13वीं विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में देखा जाय तो इनके पिता राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं जिसका लाभ इन्हें भी प्राप्त हुआ है। श्रीमती गोलमादेवी न केवल 13वीं विधानसभा में भी सदस्य रही है अपितु म.प. की सदस्य भी रही है लेकिन इन्हें अपने पति की राजनीतिक सक्रियता के कारण ही यह अवसर मिल पाया था। इसी भाँति श्रीमती अनिता कटारा भी पहली बार ही विधायक बनीं जिनका श्रेय भी उनके श्वसुर की राजनीतिक सक्रियता को ही जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की तीनों विधायकों के परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है।

राजपरिवार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिला विधायकों के अलावा अन्य महिला विधायकों की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने से स्पष्ट हो रहा है कि श्रीमती अनिता सिंह जो इससे पहले 13वीं विधानसभा की सदस्य रहने के साथ-साथ जिला प्रमुख व पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रही है लेकिन पिता व पति की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी सहायक रही है। इसी भाँति श्रीमती अलका सिंह विधानसभा में आने से पूर्व जिला परिषद् सदस्य व पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। लेकिन श्रीमती अलका को अपने पति की लंबी राजनीतिक सहभागिता का भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। श्रीमती कामिनी जिन्दल की न स्वयं की लंबी राजनीतिक सक्रियता रही और न ही परिवार की अपितु स्थानीय समीकरणों ने विधानसभा तक की उनकी राह आसान कर दी थी। श्रीमती किरण माहेश्वरी का 14वीं विधानसभा में आने से पूर्व लंबा राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन रहा है। इससे पूर्व वह लोकसभा व विधानसभा की सदस्य व नगर परिषद् सभापति रह चुकी थी। साथ ही वह अपनी पार्टी में जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर की भूमिकाओं का निर्वहन करने के अलावा समाज के विभिन्न संगठनों में भी सक्रिय रही। इस तरह से श्रीमती किरण ने बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के स्वअर्जितमुकाम हासिल किया था। इसी तरह श्रीमती शकुन्तला रावत ने भी विधानसभा में प्रवेश से पहले लंबी राजनीतिक यात्रा पूर्ण कर अपनी क्षमता से मुकाम हासिल किया। पार्षद, जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के साथ ही अपनी पार्टी में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी है। श्रीमती संतोष अहलावत विधानसभा में आने से पूर्व जिला परिषद् सदस्य व प्रधान के रूप में कार्य कर चुकी थी। साथ ही अपनी पार्टी में भी अलग अलग भूमिकाओं में कार्य कर चुकी थी।[16]

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास का 14वीं विधानसभा से पूर्व लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। इससे पूर्व चार बार विधायक रह चुकी थी। अपनी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करने से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न पदों पर कार्य करने के साथ-साथ अन्य अनेक सामाजिक संगठनों में भी निरन्तर सक्रिय रही है। श्रीमती व्यास राज्य में सफल महिला नेतृत्व का एक बड़ा उदाहरण है। श्रीमती सुशीला कंवर विधायक बनने से पूर्व जिला प्रमुख भी रह चुकी थी लेकिन पति की राजनीतिक सक्रियता ने इनके लिए आधार का कार्य किया। इसी भाँति श्रीमती शोभारानी कुशवाह बिना पूर्व सक्रियता के सीधे विधायक अपने पति की राजनीतिक सक्रियता के परिणामस्वरूप ही बन पायी थी।[17]

उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जहाँ 8 महिला सदस्य गृहिणी से विधायक बनी है जबकि अन्य सभी किसी न किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के साथ राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत रही है। कुल महिला विधायकों में से 20 महिला सदस्य पूर्व में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही है जबकि शेष 9 महिला सदस्यों ने विधायक के रूप में निर्वाचन के साथ ही राजनीति में प्रवेश किया है जिनमें से तीन महिला सदस्यों ने 13वीं विधानसभा में निर्वाचन के साथ तथा शेष 6 ने 14वीं विधानसभा के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरूआत की है। इसी तरह जो 15 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला विधायक निर्वाचित हुई है, वे सब आरक्षित स्थानों से ही निर्वाचित हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में आरक्षित स्थानों से महिला प्रत्याशियों को वरीयता दी है। जहाँ तक महिला सदस्यों की शैक्षिक स्थिति का प्रश्न है, अधिकतर उच्च शिक्षित है। 29 महिला सदस्यों में से एक महिला साक्षर, एक प्राथमिक स्तर तक तथा एक सैकण्डरी स्तर तक शिक्षित है जबकि तीन महिलाएं

साहित्य समीक्षा

...यादव व अग्रवाल सीमा, "महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता" पुस्तक महिलाओं के कल्याण हेतु जो संवैधानिक प्रावधान है उन पर ... इस बात की समीक्षा करती है कि उन प्रावधानों की जमीनी वास्तविकता क्या है। मुख्यतः पुस्तक राजस्थान की 10वीं 11वीं एवं 12वीं ... के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की विधानसभा में भूमिका की तुलनात्मक व्याख्या करती है।

... "पंचायती राज में महिलाएं" इस पुस्तक में पंचायती राज में महिला आरक्षण का संपूर्ण मूल्यांकन किया गया है कि राजस्थान जैसे परम्परागत ... में महिला आरक्षण ने किस तरह से एक राजनीतिक क्रांति पैदा की है। पुस्तक इस बात को भी इंगित करती है कि महिलाओं क्रम ने नैतिक मान्यताओं ... परिवार व राजनीति के मध्य किस तरह संतुलन कर अपनी कार्यकुशलता दिखाई है। साथ ही साथ महिलाओं के समक्ष आ रही व्यावहारिक ... को भी पुस्तक में स्थान दिया गया है।

... "राजस्थान में तेरहवीं विधानसभा में महिलाओं की भूमिका" इसमें राजस्थान में 13वीं विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी का ... करने का प्रयास किया गया है। साथ ही राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं हेतु चलाई गई विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों पर ... डाली गई है।

... "राजस्थान की राजनीति में महिलाएं (राजस्थान विधानसभा के विशेष संदर्भ में)" लेखक ने प्रथम विधानसभा से 14 वीं विधानसभा तक ... प्रतिनिधित्व की समीक्षा की है जिसमें उनकी संख्या के साथ-साथ सदन में सक्रियता को भी शामिल किया है।

उद्देश्य -

इस शोध कार्य का उद्देश्य राजनीति में महिला सहभागिता पर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करना है। साथ ही उनकी राजनीतिक ... के स्तर को ज्ञात करना भी है।

पद्धति-

शोध के उद्देश्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से राजस्थान की 14वीं विधानसभा की सभी महिला विधायकों से शोध से संबंधित सामग्री का संकलन किया गया। साथ ही द्वितीयक स्रोतों के रूप में अनेक संदर्भ ग्रंथों का भी उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र-

यह शोध राजस्थान की विधानसभा से संबंधित है अतः अध्ययन क्षेत्र के रूप में संपूर्ण राजस्थान को लिया गया है।

महिला विधायकों की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट ही है कि राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले अनेक घटक होते हैं जिसमें परिवार, शिक्षण संस्थाएं, रीति रिवाज आदि शामिल हैं। इन 29 विधायकों में से 5 विधायक राज परिवार से संबंध रखती हैं जिसमें श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर, सुश्री सिद्धि कुमारी, सुश्री कीर्ति कुमारी एवं श्रीमती दिया कुमारी शामिल हैं। स्वाभाविक है, इनको राजनीतिक ... रूप में बने रहने के गुण व अभिरुचि विरासत से प्राप्त हुई है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में देखा जाये तो वह न केवल ग्वालियर राजघराने से रही है अपितु उनकी मां स्वर्गीय विजयराजे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में शामिल रही है। स्वयं वसुंधरा मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने से पूर्व पांच बार लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी, केन्द्र सरकार में मंत्री के रूप में कार्य का अवसर भी रहा था। संगठन में कार्य के नाते भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का लंबा अनुभव रहा है। कृष्णेन्द्र कौर न केवल भरतपुर राजपरिवार से है अपितु परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। भाजपा मानसिंह व भाई विश्वेन्द्र सिंह की लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। साथ ही स्वयं कृष्णेन्द्र कौर इससे पूर्व भी चार बार विधायक रहने के अलावा अन्य कई राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुकी है।

इसी तरह सिद्धि कुमारी का संबंध बीकानेर राजघराने से रहा है। राजपरिवार के विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से समाजसेवा की पृष्ठभूमि वाली सिद्धिकुमारी के परिवार से इससे पूर्व दादा करणी सिंह ने पांच बार लोकसभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था। इस तरह राजपरिवार व राजनीतिक दोनों प्रकार की पृष्ठभूमि सिद्धि कुमारी के लिए उपयोगी रही है।

कीर्ति कुमारी का संबंध बिजौलिया राजघराने से है। इनके पिता चन्द्रवीर सिंह 1971 में मांडलगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे तथा दादा केसरी सिंह मांडलगढ़ के प्रथम विधायक रहे हैं। फिर इनके पिता वर्षों तक गायत्री परिवार से जुड़े रहे। इस पृष्ठभूमि का उन्हें लाभ तो मिला लेकिन उन्होंने अपनी लम्बी सक्रियता से ही विधायक तक का सफर पूरा किया है। पार्टी की ओर से वह जिला परिषद सदस्य, कृषि मण्डी अध्यक्ष रही, 13 वीं विधानसभा हेतु मांडलगढ़ से पार्टी की प्रत्याशी रही है। संगठनात्मक स्तर पर वह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही है।

श्रीमती दिया कुमारी का संबंध जयपुर राजघराने से रहा है। राजपरिवार के अनेक ट्रस्टों से जुड़ी रही दिया को 2013 में भाजपा ज्वाइन करते ही चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो गया था। इनके पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह ... में भारत के अम्बेसेडर रहे व दादी गायत्री देवी जयपुर से न केवल सांसद रही अपितु आपातकाल विरोध के आंदोलन की प्रतीक भी रही है। इस तरह से राजपरिवार व राजनीतिक पृष्ठभूमि दोनों ने दिया के लिए पृष्ठभूमि का कार्य किया जिसके आधार पर वह राजनीति में सहजता से प्रवेश कर पायी।

इसी तरह 29 विधायकों में से 12 विधायक अनुसूचित जाति वर्ग से है। इनमें से श्रीमती अनिता भदेल इससे पूर्व दो बार विधायक रहने के अलावा नगर परिषद की सभापति भी रही है। संगठनात्मक स्तर पर वह प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा महिला मोर्चा में सक्रिय रहने के साथ ही RSS के संगठन सेवा ...